UPSI120005792013

न्यायालय सिविल जज (जू०डि०)/न्यायिक मजिस्ट्रेट,बिसवाँ–सीतापुर।
पीठासीन अधिकारी–(कुंवर दिव्यदर्शी)(उ०प्र० न्यायिक सेवा)UP3421
फौजदारी वाद संख्या–1046/2013

अप० सं० संख्या–128/2013
धारा– 323, 504 भा०दं०सं०
थाना रेउसा, जनपद–सीतापुर।

उत्तर प्रदेश राज्य **.....अभियोजन।**

बनाम

01. उत्तम कुमार पुत्र सोबरन।
02. राजित पुत्र सोबरन।
03. गुल्ल पुत्र सोबरन।
04. देशराज पुत्र सोबरन। सर्वनिवासीगण ग्राम लखनी जैतपुर, थाना रेउसा, जनपद सीतापुर। **.....अभियुक्तगण।**

निर्णय

1. थाना रेउसा, जनपद सीतापुर पर पंजीकृत अप० सं० संख्या–128/2013, अन्तर्गत धारा 323, 504 भा०दं०सं० के प्रकरण में अभियुक्तगण उत्तम कुमार, राजित, गुल्ल व देशराज के विरुद्ध प्रस्तुत आरोप पत्र के आधार पर यह वाद संस्थित हुआ।

2. प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्तगण गुल्लू उर्फ राजकुमार व राजितराम की ओर से इस आशय का संस्वीकृति प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है कि वह स्वेच्छा पूर्वक बिना किसी जोर दबाव के जुर्म को स्वीकार कर रहे हैं। अतः उनका प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वाद की कार्यवाही समाप्त करने की कृपा की जाये।

3. न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण का बयान संस्वीकृति लिपिबद्ध किया गया।

4. न्यायालय के मत में अभियुक्तगण द्वारा संस्वीकृति प्रार्थना पत्र स्वेच्छया प्रस्तुत किया गया है, इसलिए अभियुक्तगण का संस्वीकृति प्रार्थना पत्र धारा 252 दं०प्र०सं० के अन्तर्गत स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रकरण में आरोपित अभियुक्तगण गुल्लू उर्फ राजकुमार व राजितराम को स्वेच्छया संस्वीकृति के आधार पर धारा 252 दं०प्र०सं० में दोषसिद्ध किया जाता है। दोषसिद्ध अभियुक्तगण को अभिरक्षा में लिया जाता है। दण्ड के प्रश्न पर पत्रावली लंच बाद पेश हो।

दिनाँक 12.03.2026

(कुंवर दिव्यदर्शी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट,
बिसवाँ–सीतापुर।

लंच बादः–

5. लंचबाद पत्रावली पुनः पेश हुई। अभियुक्तगण को दण्ड के प्रश्न पर सुना गया। अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अभियुक्त के प्रति उदार दृष्टिकोण रखते हुए कम से कम दण्ड से दण्डित किये जाने की याचना की गयी है।

6. दण्ड के प्रश्न पर सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

7. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अभियुक्तगण द्वारा उपरोक्त प्रार्थना पत्र स्वचेछा से प्रस्तुत किया गया है। अतः मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए उसे अर्थदण्ड से दण्डित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

दोषसिद्ध अभियुक्तगण गुल्लू उर्फ राजकुमार व राजितराम को अप० सं० संख्या–

128/2013 अन्तर्गत धारा 323, 504 भा०दं०सं० थाना रेउसा, सीतापुर के प्रकरण में दोषसिद्ध पाया जाता है, एवं प्रत्येक अभियुक्त को धारा 323, भा०दं०सं० के अन्तर्गत 200/– रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा करने से चूक होने पर अभियुक्त 10 दिवस के साधारण कारावास की सजा भुगतेगा। प्रत्येक अभियुक्त को धारा 504, भा०दं०सं० के अन्तर्गत 200/– रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा करने से चूक होने पर अभियुक्त 10 दिवस के साधारण कारावास की सजा भुगतेगा। पत्रावली आवश्यक कार्यवाही के पश्चात नियमानुसार अभिलेखागार प्रेषित की जाये।

दिनाँक 12.03.2026

(कुंवर दिव्यदर्शी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट,
बिसवाँ–सीतापुर।

आज दिनाँक 12.03.2026 को उपरोक्त निर्णय व आदेश मेरे द्वारा खुले न्यायाल में हस्ताक्षरित व दिनांकित कर सुनाया गया।

दिनाँक 12.03.2026

(कुंवर दिव्यदर्शी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट,
बिसवाँ–सीतापुर।

दुर्गा शंकर (स्टेनो)/–